न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 22 / 2024

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता गौतमलाल, जाति भील, निवासी खेडा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. श्रीमती संगीता पत्नी कन्हैयालाल, जाति भील, निवासी खेडा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—ः प्रार्थीगण

बनाम

1. गेबा पिता थावरा, जाति भील, निवासी खेड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला, बांसवाड़ा राजस्थान।

—ः अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.7.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथीगण के खाते व कब्जे की कृषि भूमि गांव खेडा, ग्राम खेडा, पटवार हल्का खेडा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेडा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित सरकारी सर्वे नम्बर 3290 पर पुराना कब्जा होने से आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्व अभियान, 2008 में उक्त मूल सर्वे नम्बर में से 0.24 हैक्टेयर भूमि नियमानुसार आवंटन की गई है एवं नियमानुसार आवंटन के बाद मुटेशन खोलकर नया सर्वे नं. 5463 /3290 रकबा 0.24 हैक्टेयर दर्ज रेकॉर्ड हुई है।. प्रार्थीगण के उक्त सर्वे नम्बर के पास में मूल सर्वे नं. 3290 में से ही अप्रार्थी सं. 1 की पत्नी श्रीमती मोती को मूल सर्वे नम्बर में से ही राजस्व अभियान प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2004 में गांव खेडा का मूल सर्वे नम्बर 3290 में से 0.08 एयर भूमि दिनांक 26.12.2004 को आवंटन हुई थी, एवं इसी सर्वे नम्बर की भूमि में से 0.08 एयर भूमि राजस्व अभियान 2008 दिनांक 03.01.2008 में आवंटन हुई है। इस प्रकार नियमानुसार उक्त भूमि का आवंटन होने पर अप्रार्थी की पत्नी व परिवार संयुक्त रुप से उक्त भूमि पर काबिज होकर शांतिपूर्ण काश्त करते आ रहे है एवं आज भी उक्त भूमि पर कब्जा है। उक्त दोनों आवंटन किये गये सर्वे नम्बर का मूल सर्वे नम्बर 3290 था, जिसके वर्तमान में नये सर्वे नम्बर बने है जो कि 5462/3290 रकबा 0.08 हैक्टेयर जिसका खाता संख्या नई 386, पुरानी 552 एवं सर्वे नम्बर 5418/3290 रकबा 0.08 हैक्टेयर जिसका खाता संख्या नई 385, पुरानी 332 है एवं श्रीमती मोती की मृत्यु होने पर अप्रार्थी गेबा के नाम वर्तमान में उक्त दोनों सर्वे नम्बर 462 / 3290 रकबा 0.08 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 5418/3290 रकबा 0.08 हैक्टेयर खाता दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के आवंटन भूमि मूल सर्वे नम्बर 3290 में से दोनों पक्षों को आवंटन हुई है, परन्तु सेहवन से नक्शे में पैमुदगी बैठे कब्जेनुसार नही की गई है एवं सेहवन से प्रार्थीगण का जहां कब्जा है वहां पर पैमुदगी नही कर अप्रार्थी सं.1 की भूमि में प्रार्थीगण की भूमि के सर्वे नम्बर की पैमु[illegible] कर दी गई है। इस कारण मौके पर विवाद होने पर राजस्व कर्मचारियों [illegible]विवाद सुलझाने हेतु पेश करने पर राजस्व कर्मचारी मौके पर आ[illegible] प्रार्थीगण को बताया कि, तुम्हारे कब्जे की भूमि में जहां तुम [illegible]दगी. नहीं होकर अप्रार्थी [illegible] के खाते की भूमि में तुम्हारे खाते की भूमि की पैमुदगी हो [illegible] है, इस कारण मौके की [illegible]के अनुसार एवं जिस प्रकार तुम दोनों पक्षों का मौके पर कब्जा है, उसके अनुसार नक्शे में पैमुदगी नही होकर गलत जगह पैमुदगी हो गई है, इसलिये नक्शे में सही पैमुदगी करने के लिये एस.डी.ओ. साहब के वहां नक्शों में शुद्धिकरण के लिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है हम राजस्व कर्मचारी उन्ही का आदेश होने पर ही जिस प्रकार तुम मौके पर बैठे हुए हो उसके अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

नक्शें में पैमुदगी की जा सकती है, इसलिये राजस्व कर्मचारियों द्वारा आप न्यायालय में नक्शों में सही पैमुदगी के लिये प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह देने पर आप न्यायालय में नियमानुसार व कब्जेनुसार प्रार्थीगण के खाते की भूमि के नक्शे में सही पैमुदगी करने के लिये यह प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण को आवंटन की गई भूमि को नक्शे में गलत स्थान पर पैमुदगी करने से मौके पर विवाद हुआ है एवं अप्रार्थी ने भी इस बात को स्वीकार किया है, कि जहां वह बैठा है वहां उसके सर्वे नम्बर की नक्शे में सही पैमुदगी नही की गई है एवं नक्शे में प्रार्थीगण के भूमि की पैमुदगी जहां होनी थी वहां नही करके अप्रार्थीगण की खाते की भूमि के पैमुदगी कर दी गई है, इस कारण मौके पर भारी विवाद होने से प्रार्थी को जहां वह मौके पर बैठा हुआ है उसी स्थान पर नक्शे में पैमुदगी करने के लिये और इसी आशय की नक्शे में शुद्धि करने के लिये आप न्यायालय में नक्शे में शुद्धि करने बाबत यह प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट में पेश है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से सम्पर्क किया गया तो अप्रार्थी सं. 1 भी इस बात से सहमत हुआ कि, नक्शे में पैमुदगी में कुछ गलती हुई है, इस कारण विवाद उत्पन्न हुआ है एवं उक्त गलत पैमुदगी के कारण हुए विवाद के निस्तारण हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र नक्शे में सही जगह पैमुदगी कर इस आशय की शुद्धिकरण कर नक्शे में सही पैमुदगी अमल–दरामद करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री शम्भुलाल खांट, अभिभाषक का वकालतनामा पैश होकर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से लिखित सहमति प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03 भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि "प्रार्थी कन्हैयालाल पिता गौतमलाल जाति भील व संगीता पत्नि कन्हैयालाल जाति भील निवासी खेड़ा के आराजी नम्बर 5463/3290 रकबा 0.24 हे0 भूमि वर्ष 2008 में आवंटन होकर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के आराजी नम्बर 3290 में से आराजी नम्बर 5463/3290 रकबा 0.24 हे0 भूमि पर काबिज होकर काश्त की जा रही है। प्रार्थीगण के आराजी से पूर्व दिशा में लगती हुई भूमि पर अप्रार्थीगण गेबा पिता थावरा जाति भील निवासी खेड़ा मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण कन्हैयालाल पिता गौतमलाल व संगीता पत्नि कन्हैयालाल के आराजी नम्बर 5463/3290 रकबां 0.24 हे0 व अप्रार्थी गेबा पिता थावरा के आराजी नम्बर 5462/3290 रकबा 0.08 हे0 व आराजी नम्बर 5418/3290 रकबा 0.08 हे0 हाल राजस्व लठ्ठे नक्शें व मौके पर काबिज स्थिति अनुसार हाल नक्शें में प्रार्थीगण कन्हैयालाल पिता गौतमलाल व संगीता पत्नि कन्हैयालाल की भूमि में गलत तरमीम दर्शा रखी है जिसको हटाकर प्रार्थीगण गेबा की भूमि में तरमीम करने तथा प्रार्थीगण कन्हैयालाल पुत्र गौतमलाल व संगीता पत्नि कन्हैयालाल के आराजी नम्बर 5463/3290 रकबा 0.24 हे0 कि हाल मौके अनुसार एंव नवीन प्रस्तावित सही तरमीम करना उंचित होना एंव प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौका अनुसार तरमीम के लिए सहमत होना" अवगत कराया जाकर हाल मौके अनुसार नक्शें में तरमीम की अनुशंसा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–[illegible] अभिलेख तथा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एंव भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण कन्हैयालाल पिता गौतमलाल व संगीता पत्नि कन्हैयालाल के आराजी नम्बर 5463/3290 रकबा 0.24 हे0, अप्रार्थी गेबा पिता थावरा के आराजी नम्बर 5462/3290 रकबा 0.08 हे0, आराजी नम्बर 5418/3290 रकबा 0.08 हे0 हाल [illegible] लठ्ठा नक्शे व मौके पर काबिज स्थिति अनुसार हाल नक्शें में प्रार्थीगण कन्हैयालाल पिता गौतमलाल व संगीता पत्नि कन्हैयालाल की भूमि में गलत तरमीम दर्शा रखी है जिसको हटाकर गेबा की भूमि में तरमीम करने तथा कन्हैयालाल पुत्र गौतमलाल व संगीता पत्नि कन्हैयालाल के आराजी नम्बर 5463/3290 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

0.24 हे0 भूमि की हाल मौके एंव प्रस्तावित नवीन नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करना उचित बताया गया।

अतः तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावित नक्षा ट्रेस अनुसार पटवार हल्का खेड़ा के मौजा खेड़ा के सर्वे नम्बर 5463/3290 रकबा 0.24 हे0, सर्वे नम्बर 5462/3290 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 5418/3290 रकबा 0.08 हे0 भूमि की तरमीम करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.7.2024 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested

25.7.24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण में पूर्वक से निर्णय जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर हो। Sd/-	T.D.R. की रिपोर्ट से सहमत तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:42:53 IST
Reason: SelfAttested